भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 46
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 03 फरवरी, 2025/14 माघ,1946 (शक) को दिया जाना है)

फर्जी निवेश वाले ऐप

46. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने कई फर्जी निवेश वाले ऐपों और लिंकों, जिनसे लाखों रुपये की ठगी हुई है पर कोई संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) अब तक ऐसी कुल कितनी धनराशि का गबन किया गया है और उसके बाद क्रिप्टोकरेंसी में इनके बदलने संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास विदेशों में अंतरित धन और इस शोधन में शामिल मुखौटा कंपनियों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): सरकार ने साइबर अपराध के रूप में निवेश संबंधी धोखाधड़ी का व्यापक रूप से संज्ञान लिया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय और वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-आईएनडी), वित्त मंत्रालय ने निवेशकों को इन अपराधों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

सेबी, को समय-समय पर, प्रतिभूति बाजार से संबंधित भ्रामक/हेरफेरपूर्ण/गैरकानूनी सामग्री के बारे में इनपुट प्राप्त हुए हैं जिन्हें मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदाता (एसएमपीपी) को भेज दिया जाता है। 27 जनवरी, 2025 तक सेबी द्वारा, इस तरह की 43,004 सामग्री को संबंधित एसएमपीपी को भेजा गया है। स्टॉक एक्सचेंजों ने 11 मार्च 2024 को निवेशकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की तथा उन्हें केवल मान्यता प्राप्त स्टॉक ब्रोकरों के माध्यम से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर ही लेन-देन करने और नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या नकली संस्थागत ऐप के लालच में न आने के प्रति सचेत किया। स्टॉक ब्रोकरों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी तरह के प्रतिरूपण के लिए पुलिस/साइबर शिकायत दर्ज करें और अपने ग्राहकों को सूचित करने के साथ-साथ प्रमुख समाचारपत्रों में इससे संबंधित सार्वजनिक नोटिस जारी करें। निवेशकों की सुविधा के लिए एक्सचेंजों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइटों पर प्राधिकृत स्टॉकब्रोकर ट्रेडिंग एप्स की श्वेतसूची जारी की गई है। सेबी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के साथ एक संवर्धित बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ/सीमा-पार जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है।

आरबीआई ने एडवाइजरी और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनता को अप्राधिकृत निकायों/अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के साथ विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के प्रति आगाह किया है। आरबीआई की वेबसाइट पर उन संस्थाओं के नाम वाली एक 'अलर्ट लिस्ट' प्रकाशित की गई है, जो न तो विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों को संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं। इस सूची में उन निकायों/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अप्राधिकृत निकायों/ईटीपी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें ऐसे अप्राधिकृत निकायों के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करना शामिल है। आरबीआई ने अपने विनियमित निकायों को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 आदि के तहत दायित्वों हेतु मानकों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अनुरूप वर्चुअल करेंसी में लेनदेन के लिए ग्राहकों को उचित सावधानी बरतने की भी सलाह दी है।

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु एक फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम स्थापित करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की है। वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्ट करने और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। 11.20 लाख से अधिक शिकायतों में इस प्रणाली द्वारा 3,919 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित की गई है। साइबर धोखाधड़ी प्रशमन केंद्र (सीएफएमसी) भी 2024 में शुरू किया गया था जिसमें बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग शामिल है। इन प्रयासों के तहत 9.23 लाख से अधिक म्यूल खातों की पहचान की गई और 7 लाख से अधिक सिम कार्ड, 2 लाख से अधिक आईएमईआई तथा 803 मोबाइल एप्स को ब्लॉक किया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है जिन्हें इसके बाद स्वतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसी को भेज दिया जाता हैं।

वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-आईएनडी) की स्थापना नवंबर 2004 में केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में की गई थी जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उस पर कार्रवाई करने, विश्लेषण करने और उसके प्रसार के लिए जिम्मेदार है। यह धन-शोधन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आसूचना, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए भी जिम्मेदार है।

*****